फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मालीराम बनाम प्रभुदयाल

मुकदमा नम्बर :– 168/236/05

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/3/24	व.प. उप. बहस सुनी। पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश हेतु दिनांक 4/4/24 को पेश हो। [signature]	
	04/4/24	व० प० उप०। पत्रावली वास्ते अवलोकन आदेश दिनांक 18/4/24 को पेश हो। [signature]	
	25/4/24	व० प० उप०। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–168/230/05

उनवान

1. मालीराम पुत्र भैरु
2. भींवा उर्फ दिनेश पुत्र भैरु
3. काना पुत्र भैरु
4. भागोती पुत्र भैरु

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र रामनाथ
2. गुल्लाराम पुत्र रामनाथ
3. भगवानसहाय पुत्र रामनाथ
4. गोपाल पुत्र कजोड
5. जीवण पुत्र मंगला (मृतक दौराने दावा)
   - 5/1. औंकार पुत्र जीवण
   - 5/2. लच्छी पुत्री जीवण
   - 5/3. कमली पुत्री जीवण
   - 5/4. गोठी पुत्री जीवण
   - 5/5. सरजू पुत्री जीवण
   - 5/6. कल्याण पुत्र अर्जुन पोत्र जीवण
   - 5/7. लाडा पुत्री अर्जुन
   - 5/8. मोहरी पुत्री अर्जुन

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर राजस्थान।
6. सुन्दर पुत्र मोहरु समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजियक महोदय चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती अभिलेख व विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 रा0 टि0 एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 05.04.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] के खसरा नम्बर 995, 999, 1001/4037, 1002, 1003, 1031, 1032, 10[illegible]/4024, [illegible]047/4026, 1048, 1647, 9950 कुल किता 12 का कुल रकबा 4.24 हैक्टेयर, खाता [illegible] 491 के खसरा नम्बर 1042, 1049, 1053, 1080, 1081/3917, 1130, 1646, 1648, 16[illegible] कुल किता 9 का कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर, खाता संख्या 677 के खुसरा नम्बर 1012/4133, 1635 कुल किता 2 का कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
(जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.23 हैकटेयर भूमिया संयुक्त खातेदारी की पैतृक कब्जे काश्त की भूमियां हैं। उक्त भूमियां ही वादपत्र में विवादग्रस्त भूमियां है। खाता संख्या 231 में अंकित भूमियों के संयुक्त खातेदार काश्तकार हिस्सा 1/2 के जीवण, भूरिया पुत्रान मंगला थे, जिनमें से हाल खसरा नम्बर 995 व 999 में जीवण ने अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के हित में हस्तान्तरण कर दिया तथा बाद में भूरिया का हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 5 जीवण को इन खसरा नम्बरान में विरासत से प्राप्त हुआ वह कालूराम पुत्र रुडाराम को हस्तान्तरण कर दिया जिसने हिस्सा 1/4 भगवारनसहाय पुत्र रुडाराम को हस्तान्तरण कर दिया जिसने हिस्सा 1/4 भगवानसहाय पुत्र रामनाथ प्रतिवादी संख्या 3 के हक में हस्तान्तरण कर दिया। जिस कारण खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 995 व 999 में हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 2 व हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 3 का तथा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 का तथा हिस्सा 1/4 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हैं तथा शेष खसरा नम्बरान में हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6, हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 6, हिस्सा 1/4 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 5 का हैं व इसी प्रकार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा लगान सरकार को अदा कर रहे हैं। खाता संख्या 491 की भूमियां वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ही पुश्तेनी संयुक्त भूमियां हैं। जिनमें वादीगण का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/3 हैं और इसी प्रकार संयुक्त रुप से काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे। परन्तु जैसा अब वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है, पहले इन भूमियों की खातेदारी केवल वादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता भैरु व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता रामनाथ के नाम ही थी, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 4 ने एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर अपना नाम भी जुडवा लिया और विभाजन करवाकर वादीगण 1 ता 3 के पिता के नाम खसरा नम्बर 1049, 1130 का रकबा 0.41 है0 करवा दिया तथा स्वयं के नाम खसरा नम्बरान 1042, 1080, 1053, 1130 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर करवा लिया तथा खसरा नम्बर 1646, 1648, 1649, 1081/3917 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम कर लिया। खाता संख्या 677 की भूमियों में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 6 का तथा हिस्सा 1/2 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का पुश्तेनी हैं तथा इस रकबे में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 का शामलाती मकान बना हुआ हैं। वादीगण 1 ता 3 का पिता व 4 का पति स्व0 भैंरु जो एक सीधा व भोली प्रकृति का व्यक्ति था, जिससे भी प्रवितादी संख्या 1 ता 4 जो आज भी शामिल ही रहते हैं के साथ भी सदैव दुर्व्यवहार [illegible] 2001 में हो गई। भैरु की मृत्यु के समय भी वादीगण 1 ता 3 [illegible] संख्या 4 एक कमजोर विधवा औरत थे जिनके साथ भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 [illegible] मारपीट करते रहते थे और धक्को तथा लात घुंसो से मार–मार कर दुर्व्यवहार करते अ[illegible] है। करीब 2 माह पूर्व परेशान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक
(फास्ट ...)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

होकर वादीया संख्या 4 ने प्रतिवादीगण 1 ता 4 से वादीगण के हिस्से की भूमियां बांट कर अलग करने को कहां तो व गाली–गलोच व मारपीट करने लग गये तथा कहा की वादीया यहां से निकरलकर कहीं अन्यत्र चली जाओं वरना जान से मार देंगे। जमीनों में तुम्हारा कुछ भी लेना–देना नहीं हैं। सब हमारे नाम करवा ली हैं। जिस कारण वादीया संख्या 4 गांव के मौजीज व्यक्तियों से निवेदन किया तो भूमियों का विधि विरुद्ध राजस्व अभिलेख में अंकन हुआ है। वह अवैध व वादीगण के हितों के विरुद्ध प्रारम्भ से ही शुन्य व प्रभाव ही हैं। जिस कारण वादीगण को अधिकार है कि वह माननीय न्यायालय द्वारा अपना हक अधिकार विवादित भूमियों में पुनः स्थापित करवाने हेतु घोषणा करवाने तथा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरुस्ती करवायें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण के साथ सदैव अत्याचार व दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस कारण शामिल में काश्त करना वादीगण के लिये असम्भव हो गया हैं तथा प्रतिवादीगण 1 ता 4 विभाजन सहमति से कराना नहीं चाहते जिस कारण वादीगण के पास विवादग्रस्त भूमियों का विभाजन माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित करवाने के अतिरिक्त अन्य विकल्प शेष नहीं रहा हैं तथा विभाजन करना वादीगण का कानूनी अधिकारी हैं। जिस कारण यह वाद पत्र माननी न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया हैं।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को विवादित भूमि खाता संख्या 231 में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खसरा नम्बर 995, 999, 1011/4837, 1031, 1032 के हिस्सा 1/12 का निरस्त फरमाया जावें तथा खाता संख्या 491 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खसरा 1130 मिन रकबा 0.08 हैक्टेयर निरस्त फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की कृपा करें तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख में दृरुस्ती के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। विवादित भूमियों में वादीगण का खाता संख्या 231 की भूमियों में हिस्सा 1/12, खाता संख्या 491 में अंकित भूमिया में हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 677 की भूमियों में हिस्सा 1/6 को विभाजित बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने की कृपा करें तथा पृथक से पर्चा लगान जारी करने के आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि विवादग्रस्त भूमियों में वादीगण के उपरोक्त वर्णित हक हिस्से तक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा कृषि भूमियों में स्थित शामलाती मकान मे वादीगण के निवास व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें और नही किसी प्रकार कृषि भूमियों में वादीगण के उपयोग–उपभोग के समय वादीगण के साथ दुर्व्यवहार व अत्याचार नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र विलेख पत्र प्रस्तुत होने पर उन्हें तस्दीक नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक
(फास्ट
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वाद पत्र को स्वीकार करते हुए एकबालिया जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 4 का एक ही परिवार है लेकिन सजरा खानदान गलत पेश किया गया है। मृतक भैरु उर्फ भौर्या के तीन लडकियां जीवित है। जिनको सजरा खानदान में नहीं दिखाया गया। इस कारण दावा सरसरी रुप से खारिज किये जाने योग्य है। खाता संख्या 231 का वर्तमान में कुल किता 11 का कुल रकबा 3.93 हैक्टेयर हैं। खसरा नम्बर 9950 वर्तमान में खाता संख्या 231 में नहीं हैं, खाता संख्या 491 रकबा 2.07 हैक्टेयर का व खाता संख्या 677 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं में स्थित हैं। खसरा नम्बर 995, 999 में वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। स्वर्गीय भैरु उर्फ भैरया द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया था। जिसका नामान्तकरण भी मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खुल चुका हैं। उक्त खसरा नम्बरों के अलावा अन्य आराजीयात् का भी बेचान भैरु उर्फ भैर्या द्वारा किया गया था। इस तथ्य को वादीगण द्वारा बराये बदनियती छिपाया गया हैं व खाता संख्या 491 की आराजीयात का बंटवारा भी माननीय अदालत के आदेशानुसार हुआ था जिसका नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 05.02.1993 को खोला जा चुका हैं व उसके पश्चात् भैरु उर्फ भैरया द्वारा खसरा नम्बर 1049 व 1030 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर का बेचान भी मिन प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका हैं व नामान्तकरण संख्या 99 दिनांक 22.05.1999 को खोला जा चुका है। इस तथ्य को भी वादीगण द्वारा छिपाया गया हैं। मिन प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने पुश्तैनी अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया था। जोकि गोपाल बनाम भौरया के नाम से चला था। व माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.1996 को निर्णय किया जाकर दावा डिक्री किया गया था। जिसको मानते हुये भैरु उर्फ भैरया द्वारा विक्रय पत्र तसदीक करवाये गये जिसको मानने हेतु वादीगण कानूनन बाध्य है। वादीगण का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई मकान नहीं हैं। स्वर्गीय भैरु उर्फ भैरया समझदार व्यक्ति था। पूर्व में कजोड के तीनों पुत्र शामिल ही रहते थे। रामनाथ की मृत्यु करीब 25 पूर्व हुई थी। मिन प्रतिवादीगण द्वारा स्वर्गीय भैरु से किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। वादिया संख्या 4 चतुर किस्म की औरत हैं। जिसका [illegible] प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने का हैं। वादीया संख्या [illegible] तथ्यों पर दबाव हैं, मिन प्रतिवादीगण को वादी से किसी भी प्रकार की कोई मार[illegible] व दुर्व्यवहार नहीं किया गया वादीगण का आराजी से कोई लेना देना नहीं है। जो बं[illegible] करने का तथ्य मनगढन्त व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(फास्ट [illegible])
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काल्पनिक हैं, मिन प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिफल अदा कर विक्रय पत्र तसदीक करवाये थे जिनको कानूनन चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। माननीय अदालत की डिक्री फाइनल है, जिसको चुनौती कानूनन नहीं दी जा सकती हैं। विक्रय पत्र वैधानिक तरीके से करवायें गये हैं। जिनाके प्रभाव शुन्य व विधि विरुद्ध घोषित नहीं किया जा सकता है। वादीगण का काश्त की भूमियों एवं मकान से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, न ही कब्जा है, न ही स्वामित्व हैं। कब्जे व स्वामित्व के अभाव में वादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा का दावा काबिले पेश रफत नहीं है। मिन प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। व आराजी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे हैं, ओर लगान सरकार को जमा करवा रहे हैं। वादीगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति होने की सम्भावना नहीं है बल्कि मिन प्रतिवादीगण को पाबन्द कर दिया गया तो वादीगण गुण्डो की मदद से मिन प्रतिवादीगण को जबरिया बेदखल कर देंगे, जिससे मिन प्रतिवादीगण की साम्पतिक व काश्तकारी अधिकार पर कुठाराघात होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादीगण का वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजवन व स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादीगण को अपना वाद साबित करने की सम्पुर्ण जिमेदारी वादी की ही होती है प्रकरण का निरधारण वादी के साक्ष्य अभिलिखित करवाने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर किया जाना होता है लेकिन वादी द्वारा प्रकरण को साबित करने के लिए ना ही कोई साक्ष्य करवाये गये है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे वादी का वाद साबित होता है जिससे वादीगण के पक्ष में घोषणा कि जा सके तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। ऐसे में वादी का वाद साक्ष्य के अभाव एवं कब्जे काश्त के अभाव में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में तथा कब्जा काश्त के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

सीताराम पुत्र बिरदाराम जाति मेघवंशी बलाई, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र काना
2. सुखदेव पुत्र काना
3. नारायण पुत्र काना
4. बरजी देवी पत्नि काना
5. बोदू पुत्र बालू (नाम हजफ)

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–422/62/08 निर्णय दिनांक:– 05.01.2024

वादी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता व वादी स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वाके ग्राम नौपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 245/745 रकबा 0.08 हैक्टेयर में वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.01.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

सहायक
(फास्ट
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner